UPHR050007122022

न्यायालय सिविल जज (सी० डि०), हरदोई।

पीठासीन अधिकारी – **रिचा वर्मा, (उ० प्र० न्यायिक सेवा), UP02102**

मूल वाद संख्या– 314/2022

शाश्वत सक्सेना आदि बनाम गुरुसेवक आदि।

दिनांकः– 05.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 13 ग 2 मय आपत्ति कागज संख्या 16 ग 2 नियत है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा०दी० प्रस्तुत कर कहा गया है कि उक्त वाद वसूली हेतु दायर किया गया है। प्रतिवादीगण के पास इतनी ही सम्पत्ति है, जिसका उन्होंने मुकदमा वय किया था। संविदा का पालन न होने पर बयाना धनराशि वापसी हेतु मुकदमा है। प्रतिवादीगण मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। वह अपनी सम्पत्ति बेंचकर पंजाब जाने को तैयार है। बैनामा सवायजपुर में लिखा रखा है। प्रार्थी ने आदेश 38 नियम 5 जा०दी० का आवेदन किया है, तिथि लम्बी लगी है। प्रतिवादीगण की सम्पत्ति अविलम्ब कुर्क किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादीगण बैनामा करके यदि चले गये तो प्रार्थीगण के धन की वसूली असम्भव हो जायेगी। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 38 नियम 5 जा०दी० की सुनवाई अविलम्ब करने की कृपा करें।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज संख्या 16 ग 2 के माध्यम से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 13 ग 2 अंतर्गत धारा 151 जा०दी० में उल्लिखित तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र के निराधार, अविधिक एवं अपोषणीय होने का कथन किया गया तथा उसे निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वास्ते धन वसूलयावी योजित किया गया है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 के अंतर्गत प्रतिवादीगण की सम्पत्ति अविलम्ब कुर्क किये जाने हेतु निवेदन न्यायालय से इस आधार पर किया गया है कि प्रतिवादीगण अपनी सम्पत्ति का बैनामा कर देना चाहते हैं। वादी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व आदेश 38 नियम 5 जा०दी० के प्राविधान का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा। *आदेश 38 नियम 5 जा०दी० के अनुसार,*

"5. Where defendant may be called upon to furnish security for production of property–

Digitally signed by Richa Verma
Date: 2024.10.14 16:50:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(1) Where, at any stage of a suit, the Court is satified, by affidavit or otherwise, that the defendant, with intention to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed him, –

(a) is about to dispose of the whole or any part of his property, or

(b) is about to remove the whole or any part of his property from the local limits of the jurisdiction of the Court,

the Court may direct the defendant, within a time to be fixed by it, either to furnish security, in such sum as may be specified in the order, to produce and place at the disposal of the Court, when required, the said property or the value of the same, or such portion thereof as may be sufficient to satisfy the decree, or to appear and show cause why he should not furnish security.

(2) The plaintiff shall, unless the Court otherwise directs, specify the property required to be attached and the esitmated value thereof.

(3) The Court may also in the order direct the conditional attachment of the whole or any portion of the property so specified."

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के परिशीलन से प्रथमतः यह विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कुर्क किये जाने हेतु निवेदित सम्पत्ति का कोई विवरण नहीं दिया गया है। द्वितीयतः अंतर्गत आदेश 38 नियम 5 किसी न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/प्रतिपक्षी की सम्पत्ति के सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब्त करने का आदेश तभी दिया जा सकता है जब न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रतिपक्षी द्वारा न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अनुपालन में या तो विलम्ब कारित किया जा रहा है या उसे अन्यथा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था *Cosmopolitan Trading Corporation vs. Engineering Sales Corporation, AIR 2001 Rajasthan 331* में यह अवधारित किया गया है कि, *"The sine qua non for an order under this rule is that the defendant is doing all these things with the dishonest intention of defeating or delaying the possible decree in the suit. Though the remedy provided under Order XXXVIII, rule 5 is a harsh one and judicial discretion should not be exercised, until a clear case has been made out, the Court can order to furnish security if it is satified."* माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित उपरोक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है कि आदेश 38 नियम 5 जा०दी० के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधिकार का उपयोग तभी किया जाना चाहिये जब वादी वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के माध्यम से इस तथ्य को सिद्ध करने में सफल रहता है कि प्रतिपक्षी द्वारा उक्त वाद में पारित होने वाली सम्भावित डिक्री के अनुपालन में अवरोध उत्पन्न किया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में वाद अभी विचाराधीन है। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत

वाद में प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया गया है कि उसने अपनी सम्पत्ति का बैनामा कर दिया है तथा इस हेतु सूची कागज संख्या 17 ग 2 के माध्यम से उक्त विक्रय पत्र की छायाप्रति भी न्यायालय में पत्रावली पर दाखिल की गयी है, जिससे भी विदित होता है कि प्रतिवादी द्वारा आपत्ति में उल्लिखित सम्पत्ति का विक्रय विलेख कर दिया गया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादी द्वारा सम्पत्ति के विक्रय किये जाने के कारण अपोषणीय हो जाता है। अतः प्रार्थना पत्र कागज संख्या 13 ग 2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 13 ग 2 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 11.11.2024 को पेश हो।

दिनांक– 05.10.2024

(रिचा वर्मा)
सिविल जज (सी०डि०),
हरदोई।